न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/126/2021	08-10-2021	05-06-2023

01— नन्दोडी पत्नी दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

—: अपीलाण्ट

बनाम

01— सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 22.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 341/2019

उपस्थितः—

01—श्री कमल सिंह रावत —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 341/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैरमुमकिन खाल खद्वर में से रकबा 0.50 है0 में सरसो/गैहू की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली, पैनल्टी एवं तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई जॉच नही की गयी न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये और न ही अपीलार्थी को उससे जिरह करने का मौका दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व तथ्यो से विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होना साबित नही पाया गया है। अपीलार्थी का विवादित आराजी के किसी भी अंश व हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नही रही है, और न ही वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा है, अपीलान्ट के परिवार के लोगो की खातेदारी की आराजी वर्णित आराजी के आस—पास है, जिनकी डोल आपस में मिली हुई है, अपने बुजुर्गो के समय से उक्त आराजी पर काबिज रहकर उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा पूर्व के निर्णय की सत्यापित प्रति पत्रावली पर पेश नही की गयी है, जबकि विधिक रूप से पूर्व निर्णय की सत्यापित प्रति पेश किया जाना आवश्यक है। विवादित आदेश बिना विधिक प्रकिया अपनाये तथा प्राकृतिक व न्यायिक सिद्वान्तो के विरूद्व पारित किया गया है। अपीलार्थी आराजी पर कतई अतिक्रमी नही है, बेजा अतिक्रमी घोषित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत जो ... पेश की गयी है, मौके कब्जे व विधि के विरूद्ध पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से दिनाक 24.05.2019 को तब हुई जब पटवारी हल्का मौके पर पहुॅचकर अपीलार्थी को उक्त विवादित आदेश के बारे में बतलाते हुए बेदखल करने की धमकी दी तथा शास्ति जमा कराने के लिए कहॉ जिस पर विवादित आदेश की नकल हेतु दिनाक 24.05.2019 को आवेदन पत्र पेश कर दिनाक 26.05.2019 को नकल प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील की गयी है, दिनाक 22.02.2019 से आज दिनाक तक का समय जानकारी के अभाव में व्यतीत हुआ है, जो लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिस हेतु दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पेश पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत का आदेश दिनाक 22.02.2019 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा राजकीय भूमि में पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा को दिनाक 30.05.2019 को अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 24.05.2019 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई जॉच नही की गयी न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये और न ही अपीलार्थी को उससे जिरह करने का मौका दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व तथ्यो से विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होना साबित नही पाया गया है। अपीलार्थी का विवादित आराजी के किसी भी अंश व हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नही रही है, और न ही वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पटवारी हल्का हरसौरा द्वारा दिनांक 14.01.2019 को सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैरमुमकिन खाल खद्दर में से 0.50 है0 भूमि में सरसो/गैहू की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसके आधार पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 28.01.2019 को तलब किया गया। अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 08.02.2019 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। नियत तिथि पर अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर शपथ–पत्र इस आशय का पेश किया गया है, कि प्रस्तावित आराजी से अतिक्रमण हटा लिया गया है, अब कोई अतिक्रमण नही है। तथा न ही भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा करूगी। तहत अदालत की पत्रावली में उक्त शपथ पत्र का कही कोई उल्लेख

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अंकित नही किया गया है, इसके स्थान पर जवाब पेश किया गया का उल्लेख है, जबकि जवाब पेश न कर शपथ–पत्र पेश किया गया था, शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो की तहत अदालत द्वारा जॉच कर कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो नही की गयी है। वक्त बहस वकील अपीलान्ट द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का पेश कर अवगत कराया है, कि प्रस्तावित आराजी से अतिक्रमण हटा लिया गया है, अब कोई अतिक्रमण नही है। तथा न ही भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नही करूगी। प्रकरण में प्रस्तुत शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास करते हुये अपील अपीलान्ट केवल सजा की हद तक आंशिक स्वीकार किये योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सजा की हद तक आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2019 केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)